

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी

बनाम

व्यु गंगाराम चौक

प्रार्थनापत्र

47/2015



आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

25410 अनुक्रम 30/ जबकि दरख्वास्त 06217 एचएल हेतु आप हित के पुनः आर्थिक अवसर दिया जाकर दिनांक 12-6-18 को प्रेषित हो तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विशदनगर (अजमेर)

12/06/18



क्र. ला. 47/2015

पञ्जापली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। उपस्थित पक्षकार को सुना गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र मु. नं. 49/2015 आबत. स्थायी निषेधाज्ञा के साथ पेश हैं। ला. क्र. नं. 1688/रकबा 1 बीघा 3 छिन्ना के हाल खसरा 2230/0.21 हैकरेयर की खतेदारी हनुमान पुत्र नाथ्या कादी सं. 4 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा कादी सं. 4 ने कादी सं. 1033/3 के एक में पंजीकृत उपहार पत्र निषेधाज्ञा किया है। प्रार्थी आराजी मुतनाजा का रिकार्डिंग खतेदार काश्तकार हैं, तथा अप्रार्थी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा कावाद पेश कर रखा है, जो वर्तमान में साक्ष्य कादी में निमत चल रहा है, मूलवाद में उभय पक्षों के मध्य कच्चा-काश्त को लेकर विवाद जो साक्ष्य

गंगाराम



फर्द अहकाम

मूल-य फर्द

बनाम

गंगा राम



नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

केस संख्या

विराटनगर (जयपुर) 47/2015

प्रार्थना पत्र

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>विषयक प्रश्न है। अतः मूल प्रकरण में उन्नय पक्षों के पूर्ण साक्ष्य लिखा जाना न्यायसंगत है तथा प्रकरण के न्याय पूर्ण निस्तारण के लिए यह आवश्यक है। अतः उन्नय पक्षों को सर्वप्रथम मूल वाद अध्यायी निषेधाज्ञा से जाबद किया जाता है कि ग्राम मैड के ख.नं. 2230/0-21 हब्बेया के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की स्थिति अथवा कानून कायम रखने के निर्णय मजमे-आप केम्प कोर्ट मैड में सुनाया गया। प्रभावली कंधल कुमार होकर नब्बल से पत्र हो, डाकिल इफ्तार रहे।</p> <p style="text-align: right;">  पीठारीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर) </p>

